

राज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

2024/223 अक्टूबर 4/5 सजना

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील जारी हुए
17.9.24	<p>2024/176 श्री पंगलाराय चौधरी श्री 44-4</p> <p>पत्रावली पेश की गई। अतिमासक अपीलान्त उपस्थित - रेसपो स. 1 में 3 को जारी नोमि नही आये ह. अतः अतिमासक अपीलान्त नोमि पेश करे। पत्रावली वाला तलरी नोमि रेसपो स. 1 में 4 रिपांड 14/11/24 को पेश हुए</p>	
14/11/24	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलान्त एवं रेसपो. उपस्थित। अथ वार संघ / जिला वार संघ द्वारा न्यायिक कार्य स्थगित रखा गया। मिसल पूर्वानुसार वास्ते दिनांक 17/12/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	
17/12/25	<p>पत्रावली पेश की गई। अतिमासक अपीलान्त एवं अपीलान्त वकील उपस्थित नही। अतिमासक अपीलान्त एवं अपीलान्त को कई बार कक-कक कर आवजने छिलाई गई, किन्तु उपस्थित नही हुए, अतः अतिमासक अपीलान्त एवं अपीलान्त अनुपस्थित रहने से मसिल अपीलान्त अग्र हाजरी - अग्रपेची में खासज की जारी है। पत्रावली मिसलशुभार डीकर नम्बर ले कर हो।</p> <p style="text-align: right;">राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर</p>	



न्यायालय
अधिकारी
राजस्थान
जयपुर

575
श्री मंगलाराम
चौधरी एडवोकेट
अपील पेश की
चौ.ओ. लाहवा का
परमिटर है।

Om Motekar
2/8/24

श्रीमती सजनी पत्नी
श्रीमती मंजु पुत्री
श्रीमती कंचन पुत्री
राजस्थान सरकार
अजमेर

न्यायालय श्रीमान, राजस्व अपील-अधिकारी, अजमेर

अपील डिक्री टी0ए0 संख्या 176 सन् 2024 जिला केकडी
(2024/176)

अर्जुन पुत्र स्व0 कजोड(मृतक) जरिये वारिसान:-

1. कमलादेवी पत्नि स्व0 अर्जुन
2. सुमित्रा पुत्री स्व0 अर्जुन
3. मनभर पुत्री स्व0 अर्जुन
4. छगनलाल पुत्र स्व0 अर्जुन
5. भागचंद पुत्र स्व0 अर्जुन

समस्त जाति रेगर निवासी कादेडा तहसील केकडी जिला केकडी।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. श्रीमति सजनी पत्नि स्व0 नाथु पुत्र मांगीलाल
2. श्रीमति मंजु पुत्री नाथू पुत्र मांगीलाल
3. कंचन पुत्री मांगीलाल
समस्त जाति रेगर निवासी ग्राम कादेडा तहसील केकडी जिला केकडी।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी जिला केकडी।

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला केकडी(अजमेर) दिनांक 30.10.2018 वाद संख्या 01/2018 उनवानी अर्जुन बनाम श्रीमति सजनी आदि मे पारित किया गया।

मान्यवर,

अपीलाण्ट की ओर से निम्न निवेदन है:-

Om